बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या–8/ब2–10–20/2019 गृ0आ0...5531.../बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम–7, 2007) की धारा 55 सह–पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट–72 के क्रमांक–4(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"4(i) पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक कोटि के सेवारत अथवा इन कोटियों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय चयन पर्षद् का गठन किया जायेगा।"

2. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट–72 के क्रमांक–4(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"4(ii) (क) राज्य सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को केन्द्रीय चयन पर्षद को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

(ग) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अपने सेवाकाल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवानिवृत्त के बाद पर्षद के अध्यक्ष के रूप नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से, सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्युटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 8/ब2–10–20/2019 गृ0आ0 5531 /पटना, दिनांक 10/7 2019

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 8/ब2–10–20/2019 गृ0आ0 5531 /पटना, दिनांक 10/7 2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती),/महानिदेशक सह–महासमादेष्टा, बिहार रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित) आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव